

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 1314

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सीलिंग हेतु आदेश)
/वाद सं० आर-0625/एस-8/2026 दिनांक: 03/07/2026

श्रीमती राजेशवरी भट्ट,
256, चूखुवाला,
पो०ऑ० के पीछे,
देहरादून ।

आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर द्वितीय तल पर दो कमरों का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। अनाधिकृत निर्माण का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० आर-0625/एस-8/2026 योजित किया गया। उपरोक्त वाद में दिनांक 24.04.26 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं "निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस" प्रेषित किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा स्थल पर उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.05.2026 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ताओं की आख्यानानुसार विपक्षी द्वारा द्वितीय तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर लगातार अनाधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही अनाधिकृत निर्माण के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। न ही अतिथि तक विपक्षी द्वारा अपने निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृत/शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्रीमती राजेशवरी भट्ट, 256, चूखुवाला, पो०ऑ० के पीछे, देहरादून द्वारा स्थल पर द्वितीय तल पर दो कमरों का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। अनाधिकृत निर्माण का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त समस्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 08/07/26 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

राजेशवरी

संयुक्त सचिव/पी० अधिकारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

01/08